देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ...173......... / भू अ० दिनांक : 01/02/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–ताराजोरा, थाना–सारवाँ, थाना सं०–227, अंचल–सारवाँ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **सिकिटिया (बवनगामा–पथरौल पथ पर) से शामलपुर–बोचबांध–डुबा–बनवरिया–जियाखारा–मनीगढ़ी (सारठ–देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–ताराजोरा, थाना–सारवाँ, थाना सं०–227, अंचल–सारवाँ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.51** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	41	रैयती	धानी–1	0.02	जयराम मंडल बल्द भीखो मंडल (ज० रै०)	अजय नदी	दास डीह, 157	अर्जित रकवा का अंश	दासडीह 157
2	13	2	रैयती	बाड़ी–2	0.04	मुलो देवी पति राम प्रसाद दास वो संसार देवी पति साहेब दास वो फुलेश्वरी देव्या पति विशु दास वो दासो दास वो पासो दास पे० महानंद दास वो गणेश दास वो उचित दास पे० बाबुलाल दास वो कुमा देवी पति सहदेव दास वो शकुन्तला देवी पति महादेव वो वेजु दास पे० चौधरी दास वो नीरा देवी पति सुकदेव दास वो कामदेव दास वो सीताराम दास वो विरेन्द्र दास पे० खुलु दास वो रामदेव दास वो नागेश्वर दास वो सरलु दास पे० पांचु दास वो वासुदेव दास पे० जगदीश दास वो महेश दास वो राधे दास वो श्रीराम दास वो जयराम दास वो मृत्युंजय दास पे० अमीन दास वो विद्याधर दास वो नंदकिशोर दास पे० दुखी दास वो टनटन देवी पति सुखी दास अंश समान सा० देह।				
3	13	43	रैयती	धानी–3	0.03	तथैव।				
4	13	45	रैयती	धानी–2	0.02	तथैव।				
5	13	47	रैयती	धानी–2	0.03	तथैव।				
6	13	48	रैयती	धानी–3	0.01	तथैव।				
7	13	49	रैयती	धानी–3	0.01	तथैव।				
8	14	56	रैयती	बाड़ी–2	0.04	मुलेश्वर राय पे० डोमर महतो सा० देह।				
9	17	1	रैयती	बाड़ी–2	0.14	गोविन्द मंडल पे० कैलु मंडल (ज०रै०)				
10	22	30	रैयती	धानी–3	0.02	बुधु रजक वो सुकदेव रजक वो पवन रजक वो जोगन रजक वो पांचु रजक पे० राजकुमार बैठा वो वासुदेव बैठा वो सुभाष बैठा पे० हरि बैठा अंश समान सा० देह।				
11	27	51	रैयती	बाड़ी–2	0.05	भालू राय वो फेकन राय महेन्द्र राय पे० टिकैत				

						राय। अंश समान सा० देह।				
12	33	27	रैयती	बाड़ी–2	0.05	कार्तिक मंडल वो धरम मंडल वो वासो मंडल पे० डेगु मंडल वो विशु मंडल पे० हरखु मंडल वो गणेश मंडल पे० सनु मंडल अंश समान सा० देह।				
13	33	42	रैयती	धानी–3	0.01	तथैव।				
	35	31	रैयती	बाड़ी–2	0.04	रामप्रसाद महतो पे० गुरू महतो वो पेतरी देवी पति सहदेव महतो वो विमली देवी पति जगदीश महतो वो शांति देवी पति भुवनेश्वर महतो वो सुदामा वर्मा पति बालदेव वर्मा वो सुकदेव वर्मा पे० मोती महतो अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.51**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 173/ भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवाँ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी <u>असाधारण/पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।